झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(मत्स्य प्रभाग)

संoसंo-मoनिo-II-उoयोo-53/2017-18/ 27 **/मत्स्य, रॉंची, दिनांक** 17.12.21

प्रेषक,

अबुबक्कर सिद्दीख पीo, भाo प्रo सेo,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

महालेखाकार,
झारखण्ड, रॉंची।

द्वारा:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय- **चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में मत्स्य विपणन योजना अंतर्गत कुल मो0 99.11 लाख (निनानवे लाख ग्यारह हजार) रुपये मात्र की अनुमानित लागत पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में मॉग संख्या-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग), मुख्य शीर्ष-4405-मछली पालन पर पूॅंजीगत परिव्यय में राज्य योजना मत्स्य विपणन योजना अन्तर्गत पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा जिला में 01 मत्स्य बाजार शेड का निर्माण हेतु कुल मो0 99.11 लाख (निनानवे लाख ग्यारह हजार) रुपये मात्र की अनुमानित लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस योजना हेतु मो0 100.00 लाख (एक करोड़) रूपये का योजना उद्व्यय निर्धारित है तथा इतनी ही राशि का बजट उपबंध प्राप्त है।

3. योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि का व्यय निम्न बजट शीर्ष में उपलब्ध बजट उपबंध के अधीन किया जायेगा:-

मॉग सं0-53 कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष-4405-मछली-पालन पर पूॅंजीगत् परिव्यय

(राशि लाख रू0 में)

क0	मद एवं विपत्र कोड	स्वीकृत बजट उपबंध	वर्तमान में स्वीकृत राशि
1	लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-उप शीर्ष-62-मत्स्य विपणन योजना-विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य **53S44050079662010545**	100.00	99.11
	कुल योग :	**100.00**	**99.11**

मो0 99.11 लाख (निनानवे लाख ग्यारह हजार) रुपये मात्र।

4. (क) मंगला हाट, सदर चाईबासा में मत्स्य बाजार शेड का निर्माण के मो0 99,11,100/- रु0 मात्र के योजना प्राक्कलन पर अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, चाईबासा द्वारा दिनांक 13.09.2021 को तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त है।

5. राशि का व्यय उपलब्ध बजट उपबंध के अन्तर्गत स्वीकृत मदों में दर्शायी गई राशि की अधिसीमा में की जाएगी।

6. मंगला हाट, सदर चाईबासा में मत्स्य बाजार शेड के निर्माण के लिए इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा द्वारा राशि वित्तीय लक्ष्य/स्वीकृत राशि के अधीन प्राप्त आवंटन से राशि की निकासी संबंधित कोषागार से एक मुश्त करते हुये कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, चाईबासा को पुस्त हस्तांतरण के माध्यम से उपलब्ध करायी जाएगी।

उल्लिखित निर्माण कार्य का क्रियान्वयन राज्य योजना - मत्स्य विपणन योजना (पूर्णतः राज्य योजना) से ही किया जाएगा तथा किसी अन्य योजना से इसका कार्यान्वयन नहीं किया जाएगा। मत्स्य बाजार शेड निर्माण हेतु स्थल संबंधी सभी अभिलेखीय कार्य पूर्ण कराने की जिम्मेवारी जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा की होगी। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंता से निरंतर संपर्क कर कार्य की प्रगति सुनिश्चित करेंगे।

7. तकनीकी रुप से स्वीकृत योजना प्राक्कलन के अनुरुप गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य सुनिश्चित कराने के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी भी जवाबदेह होंगे।

8. योजना के राज्य स्तर पर नियंत्री पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची होगें, जो सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड के सर्वोच्च नियंत्रण अंतर्गत समस्त दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

9. मदवार स्वीकृत राशि की अधिसीमा अंतर्गत पारदर्शी तरीके से सभी स्थापित प्रक्रियाओं का अनुपालन कर संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

10. स्वीकृत राशि का व्यय प्राप्त आवंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक-2561 दिनांक 17.04.98 द्वारा निरुपित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन करते हुए तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

11. उक्त स्वीकृत्यादेश मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना सं0-सी0एस0-2/आर0-01-2005-301 दिनांक 11 मार्च, 2015 के द्वारा प्रशासी विभाग को प्रदत्त वित्तीय शक्ति के आलोक में निर्गत किया जाता है।

12. वित्तीय वर्ष 2020-21 में मत्स्य विपणन योजना अन्तर्गत कुल स्वीकृत राशि (बजट उपबंध मुख्य शीर्ष-2405 में मात्र) मो0 150.00 लाख रु0 मात्र में से मो0 143.01 लाख रु0 मात्र का व्यय किया गया है।

13. किसी भी परिस्थिति में विषयगत योजना का दोहरीकरण नहीं हो।

14. इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में अग्रिम निकासी नहीं की गई है।

15. स्वीकृत्यादेश प्रारुप पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

16. निर्गत स्वीकृत्यादेश विभागीय वेब-साईट **www.jharkhandfisheries.org** पर देखा जा सकता है।

विश्वासभाजन

(अबुबक्कर सिद्दीख पी0)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक :- म0नि0-II-उ0यो0-53/2017-18 27..510(वि)मत्स्य / राँची, दिनांक 17.12.21

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा /निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची/ संयुक्त मत्स्य निदेशक/उप मत्स्य निदेशक (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी)/सहायक मत्स्य निदेशक, अनुसंधान, राँची/मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची/अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, चाईबासा एवं संबंधित कार्यपालक अभियंता/कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल सं0 2, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक :- म0नि0-II-उ0यो0-53/2017-18 27..510(वि)मत्स्य / राँची, दिनांक 17.12.21

प्रतिलिपि :योजना-सह-वित्त विभाग (बजट शाखा, वित्त प्रभाग), झारखण्ड, राँची/विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त एवं उप विकास आयुक्त/माननीय विभागीय मंत्री जी के आप्त सचिव/मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची के सचिव/सचिव, भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव/सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव/सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव